न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 25/2026

धर्मवीर **बनाम** नाथूराम आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना– अवागढ़, जिला एटा

17.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी खटौटा थाना अवागढ जिला एटा का निवासी है। प्रार्थी ने प्रेमचन्द्र पुत्र गोवर्धन निवासी अम्बेडकर नगर थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद की पुत्री रूवी की शादी की बात नाथूराम पुत्र चन्दन सिंह निवासी वोर्रकला थाना अवागढ के पुत्र भानुप्रताप से कराई थी। किसी कारण शादी नहीं हो सकी इसी बात से नाथूराम प्रार्थी से नाराज हो गये तथा प्रार्थी व अन्य लोगों के विरूद्ध झूठा मुकद्दमा नाथूराम ने दर्ज करा दिया और प्रार्थी पर जबरिया शादी करवाने का दबाब डाल रहे थे। प्रार्थी ने कहा कि लडकी पक्ष तथा लडकी तैयार नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैसे करा दूँ। इसी बात पर नाथूराम ने कहा कि जो गोद भराई तथा पक्की में खर्चा हुआ वह रूपया तू हमको दे। प्रार्थी ने नाथूराम से खर्चा देने से मना कर कहा कि बैठकर लडकी वालों से अपनी बात करो। इसी बात से नाराज होकर दिनांक 20.12.2025 को नाथूराम पुत्र चन्दन सिंह, भानुप्रताप पुत्र नाथूराम, सरोज पत्नी नाथूराम निवासी वार्रकला थाना अवागढ व नाथूराम के दामाद नाम नामालूम प्रार्थी के घर आये और प्रार्थी से कहा कि तूने मुझे रूपया नहीं दिया, जो खर्चा हुआ। प्रार्थी ने कहा कि तुम अपना हिसाब प्रेमचन्द्र से करो तो इसी बात पर नाराज होकर सभी लोग प्रार्थी की माँ वहिन को गंदी–गंदी गालियों देकर घर के अन्दर थप्पडों से मारने पीटने लगे, प्रार्थी के शोर मचाने पर प्रार्थी का भाई दिनेश व मुहल्ले के हरी सिंह आदि बहुत से लोग आ गये। जिन्होंने प्रार्थी को बचाया और उक्त लोगों को घर से निकाला जाते समय सभी ने धमकी दी कि साले जो हमारा खर्चा हुआ उसे तू देगा नहीं तो आज बच गया है, आयन्दा जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थी इस घटना की रिपोर्ट करने उसी दिन थाना अवागढ गया तो पुलिस ने तहरीर लेकर रख ली और जॉचकर कार्यवाही का आश्वासन देकर घर भेज दिया। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। तब प्रार्थिया ने मजबूरन होकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2026 को जरिये डाक एस०एस०पी० एटा को दिया, लेकिन अभी तक प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं हई। तब मजबूर होकर प्रार्थी श्रीमान जी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

आवेदक की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदक एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

उक्त प्रकरण परिवाद की रूप में दर्ज किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली वास्ते मीडिएशन दिनांक 02.04.2026 को परिवादी सुलह समझौता केन्द्र पर उपस्थित हों। मीडिएशन आख्या दिनांक 17.04.2026 को आहूत हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)

दिनांक 17.03.2026